123

न्यायालय श्रीमान् पीठासीन अधिकारी महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर
खण्डपीठ रीवा (म0प्र0)

R5243-II/16 Rs.301-

श्रीमती फूलमती शाह पुत्री स्व0 बहादुर शाह पत्नी संतोष कुमार शाह, निवासी ग्राम चाँचर, तहसील व जिला सिगरौली (म0प्र0)

———निगरानीकर्ता

बनाम

1— मुस0 रामकली स्व0 बहादुर शाह,

2— राजकुमार पिता स्व0 बहादुर शाह,

3— सुरेश कुमार पिता स्व0 बहादुर शाह,

4— रामनरेश शाह पिता स्व0 बहादुर शाह,

सभी निवासी ग्राम नौगई, तहसील व जिला सिगरौली (म0प्र0)

———गैरनिगरानीकर्तागण

श्री रामलोचन विश्वकर्मा द्वारा आज दिनांक 01-6-16 को प्रस्तुत किया गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी विरूद्ध आदेश अपर आयुक्त रीवा (म0प्र0) के प्रकरण क0—11/अपील/2013—14 मुस0 रामकली बनाम फूलमती शाह में पारित आदेश दिनांक 23/06/15

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 ई0

मान्यवर,

निगरानी के संक्षिप्त तथ्य :—

यह कि ग्राम हरैया तहसील व जिला सिगरौली की आराजी क0—417, 423, 424, 425, 426, 427, 429, 430, 359/2, 393/2

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 5243–दो/2016 जिला सिंगरौली

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15–5–2017	आवेदिका अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया। अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 23–6–2015 की सत्यापित प्रति के अवलोकन किया जिससे प्रकट होता है कि अपर आयुक्त ने अनावेदकों की अपील को इस आधार पर स्वीकार किया है कि मृतक पिता के स्थान पर अपना नाम दर्ज कराने बावत अपील वर्ष 2004 में पारित आदेश के विरूद्व 7 वर्ष बाद 2012 में पेश की गई है। वादग्रस्त भमि मृतक बहादुरशाह की स्वअर्जित सम्पत्ति थी और उस सम्पत्ति का बटवारा अपने जीवनकाल में ही अपने पुत्रों के मध्य किया था। इसलिए फूलमती शाह अगर भूमि में अपना हक लेना चाहती है तो उसे सिविल कोर्ट में अपने हक का निर्धारण कराना चाहिए। अपर आयुक्त द्वारा इसी कारण कारण अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित अवैधानिक आदेश को निरस्त कर अपील स्वीकार की है। अपर आयुक्त द्वारा वैधानिक आदेश में कोई अवैधानिकता प्रकट नहीं होती है। दर्शित परिस्थितियों में यह निगरानी प्रथमदृष्टया ही आधारहीन होने से निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (एस. एस. अली) सदस्य	